



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड  
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरल कम्पनी)  
बीज भवन, पूसा परिसर  
नई दिल्ली -110 012।  
फैक्स- 011- 25846462  
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)  
फैक्स-01509-238027

**NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED**  
(A Government of India Undertaking)  
(CIN : U74899DL1963PLC003913)  
**BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX**  
**NEW DELHI-110 012 (INDIA)**  
Website: www.indiaseeds.com  
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295  
e-mail – [nsc@indiaseeds.com](mailto:nsc@indiaseeds.com)  
**CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH**  
**PHONES: ( 01509-238027, 238296 (Office)**  
Tele – Fax :- 01509-238027  
e-mail – [directorcsfsg@gmail.com](mailto:directorcsfsg@gmail.com), [agricsf@gmail.com](mailto:agricsf@gmail.com)

क्रमांक: – सर./उद्यान/04 (स्वीकृति)/2023–24–

दिनांक:– 24.03.2023

## निविदा सूचना

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़, जिला–श्रीगंगानगर (राजस्थान) में वर्ष 2023–24 के दौरान फार्म स्थित फलों के बगीचे व नर्सरी में विभिन्न उद्यानिकी कार्यों को ठेके पर कराने के लिए निविदाएँ दिनांक 18.04.2023 को अपराह्न 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जो कि उसी दिन 3.30 बजे फार्म अधिकारियों की कमेटी द्वारा उपस्थित निविदादाताओं/ठेकेदारों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा में भाग लेने से पूर्व रुपये 10000/–(रुपये दस हजार मात्र ) का बैंक ड्राफ्ट जो कि, “ राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सरदारगढ़” के नाम से सुरतगढ़ में देय हो जो कि फार्म खजांची के पास टेंडर के साथ जमा करवानी होगा अथवा ठेकेदार को स्वयं के खाते से केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ के भारतीय स्टेट बैंक सुरतगढ़ के खाता संख्या 34032829868 में ऑनलाइन जमा करना होगा।

टेण्डर फार्म व नियम शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10.0 बजे से सांय 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है व टेण्डर फार्म रु.236/– (including 18% GST) नगद जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदादाता को नीलामी के समय अपने पेन कार्ड/ टिन न. की फोटोप्रति व वर्तमान आवासीय पते हेतु राशन कार्ड अथवा अन्य सबूत की फोटोप्रति टेण्डर के साथ संलग्न करनी होगी, तथा इसकी विस्तृत जानकारी वेबसाइट [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com) पर देखी जा सकती है। यदि निविदा वेबसाइट से डाउनलोड करके भेजी जाती है तो निविदा के साथ धरोहर राशि के अतिरिक्त निविदा शुल्क रु. 200/– का ड्राफ्ट देना होगा।

**नोट: – अपराह्न 2.00 बजे के बाद कोई टेण्डर फार्म नहीं दिया जायेगा व 3.00 बजे के बाद कोई भी टेण्डर फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।**

कृषि अधिकारी  
के0रा0फा0,सरदारगढ़



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड  
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्ट्रल कम्पनी)  
बीज भवन, पूसा परिसर  
नई दिल्ली -110 012।  
फैक्स- 011- 25846462  
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)  
फैक्स-01509-238027

**NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED**  
(A Government of India Undertaking)  
(CIN : U74899DL1963PLC003913)  
**BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX**  
**NEW DELHI-110 012 (INDIA)**  
Website: www.indiaseeds.com  
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295  
e-mail – [nsc@indiaseeds.com](mailto:nsc@indiaseeds.com)  
**CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH**  
PHONES: ( 01509-238027, 238296 (Office)  
Tele – Fax :- 01509-238027  
e-mail – [directorcsf@gmail.com](mailto:directorcsf@gmail.com), [agricsf@gmail.com](mailto:agricsf@gmail.com)

क्रमांक.....

क्रमांक :- सर./ उद्यान /04 /2023-24/

दिनांक: -.....

**टेण्डर फार्म वर्ष 2023-24 के उद्यान कार्य हेतु**

**उद्यान एवम् नर्सरी कार्यों की दरें वर्ष 2023-24**

क्र. सं.	कार्य विवरण	छोटे पेड़ 1-3 वर्ष आयु	बड़े पेड़ 3 वर्ष से अधिक आयु
		नई दरें (रूपये)	नई दरें (रूपये)
1.	नया बाग लगाना व खाली स्थान पर पेड़ लगाना :-		
	गड्डों का साईज 3X3X3 फुट वृत्ताकार का खोदना खाद डालना मिलाना व गड्ढा भरना।	..... प्रति गड्ढा	
2.	नर्सरी से पौधे को लाकर पेड़ लगाना व पानी डालना (एक बार)।	..... प्रति पौधा	
3.	बाग की गुड़ाई व खाद उर्वरक डालना का कार्य :-		
	पेड़ों के नीचे बिना जुती जमीन को फावड़े से गुड़ाई करना, खाद उर्वरक डालना, गुड़ाई द्वारा फावड़े से मिलाना व तने पर 1-2 फीट तक मिट्टी चढ़ाना पेड़ के नीचे की ऊँची मिट्टी को पेड़ के पास खाली स्थान के गड्ढे में फेंकना	..... प्रति पौधा	..... प्रति पौधा
4.	दवाई छिड़काव		
	बाग में फार्म ट्रैक्टर द्वारा स्प्रेयर से पेड़ों पर दवाई का छिड़काव प्रति एकड़	..... प्रति एकड़	
5.	बाग में कटाई व छंटाई का कार्य :-		
	फलदार पेड़ों की सूखी टहनियों की कटाई, छंटाई करना, कटी लकड़ी को पेड़ों के नीचे से उठाकर खेत से बाहर जलाना।	किन्तू ..... माल्टा मौसमी ..... अमरुद ..... बेल ..... नीबू ..... ( प्रति पौधा )	किन्तू ..... माल्टा मौसमी ..... अमरुद ..... बेल ..... नीबू ..... ( प्रति पौधा )
6.	बोर्डो पेंटिंग कार्य :-		
	बोर्डो पेंट तैयार करना, कटाई व छंटाई की गई शाखाओं के कटे भाग पर पेंट से पुताई तथा तने पर 1-2 फीट की उंचाई तक पेंटिंग करना पेड़ की शाखा में काले गोंद वाले स्थानों की पुताई करना।	..... प्रति पौधा	..... प्रति पौधा
7.	बाग में सुधार कार्य :-		
	(अ) सूखे बीमार अवांछित पौधों की 2 फीट गहराई तक जड़ से उखाड़ना व फार्म ट्रॉली में लोड करके स्टोर पर उतारना।	..... प्रति पौधा	..... प्रति पौधा

	(ब) बाग में फलदार पौधों के बीच में उगे हुए जंगली पौधों को जड़ से उखाड़ कर बाहर निकालना	..... प्रति मुरब्बा	
8.	बाग में फलदार पौधों की डिसवडिंग करना	..... प्रति पौधा	..... प्रति पौधा
9.	जट्टी खट्टी के फल तोड़कर बीज निकालना, क्यारी बनाकर बीज बोना।	.....प्रति किलो	
10.	पोलीथीन की थैली (बालू+खाद +मिट्टी) मिश्रण से भरना, क्यारी बनाकर लाईन में लगाना व बीज बोना व पानी लगाना।	.....प्रति प्लास्टिक थैली	
11.	पोलीथीन की थैलियों में निराई व गुड़ाई करना (10X1 मी. क्यारी)।	.....प्रतिबैड	
12.	पिण्डी सहित पौधे निकालकर घास में बांधकर पैकिंग करके देना।	..... प्रति पौधा	
13.	छोटे बीजू पौधों को क्यारी में या पौलीथीन में पिपट करना और पानी लगाना।	.....प्रति पौधा	
14.	नयी क्यारी 10X1 मी. आकार की बनाकर तैयार करना।	..... प्रति क्यारी	
15.	नर्सरी की क्यारी को खुरपी से निराई, गुड़ाई करना(10X1 मी. क्यारी)	.....प्रति क्यारी	
16.	बडिंग/ग्राफटिंग से तैयार पौधो को क्यारी बनाकर पिपट करना व पानी लगाना।	.....प्रति पौधा	
17.	ट्रक में पौधो को चढाना व उतारना।	.....प्रति पौधा	
18.	पोलीथीन की थैलियों को क्यारी बनाकर क्यारी से क्यारी में लाईन में सेटिंग करना (दर प्रति थैली)	..... प्रति प्लास्टिक थैली	
19.	फार्म ट्रेक्टर ट्राली से बालू रेत लोड कर तथा नर्सरी में लाकर उतारना।	.....प्रति ट्रॉली (लोडिंग/अनलोडिंग)	
20.	प्राइवेट ट्रेक्टर ट्राली से बालू रेत लोड कर तथा नर्सरी में लाकर उतारना।	.....प्रति ट्रॉली (लोडिंग/अनलोडिंग)	
21.	फार्म के ट्रेक्टर ट्राली मे गोबर की खाद कीमत सहित लोड करके लाना व बाग में डालना।	.....प्रति ट्रॉली (लोडिंग/अनलोडिंग)	
22.	प्राइवेट ट्रेक्टर ट्राली मे गोबर की खाद कीमत सहित लोड करके लाना व बाग में डालना।	.....प्रति ट्रॉली (लोडिंग/अनलोडिंग)	
23.	प्लेवा व प्रथम पानी लगाना दर प्रति एकड़		
	(अ) मोगे द्वारा	..... प्रति एकड़	
	(ब) स्क्रूपम्य द्वारा	..... प्रति एकड़	
24.	दूसरा व अन्य पानी लगाना		
	(अ) मोगे द्वारा	..... प्रति एकड़	
	(ब) स्क्रूपम्य द्वारा	..... प्रति एकड़	
25.	खालों का डिसिल्टिंग करना व घास निकालना व पटरी की सफाई करना दर प्रति मीटर	..... प्रति मीटर	
26.	वानिकी पौधों का वृक्षा रोपण का कार्य:-		
	1X1X1 फुट साईज का गड्ढा खोदना, नर्सरी से पौधे	.....प्रति पौधा	

	को पिण्डी सहित उखाड़ना व लगाने हेतु ले जाकर लगाना तथा एक बार पानी डालना।		
27.	पापुलर पौधों की छंटाई करना :-	.....प्रति पौधा	.....प्रति पौधा
28.	यूरिया व डीएपी खाद का बुरकाव करना (दर प्रति एकड़)	..... प्रति एकड़	
29.	गाजर/मूली को नर्सरी से उखाड़ना, काटना, फार्म ट्रैक्टर ट्राली में लादना व खेत में ले जाकर लगाना (दर प्रति एकड़) ।	..... प्रति एकड़	
30.	गाजर/मूली में नर्सरी व लगे हुए खेत में खुरपी अथवा कसोले से निराई-गुड़ाई करना (दर प्रति एकड़) ।	..... प्रति एकड़	
31.	गाजर/मूली की कटाई करके इकट्ठा करना, थ्रेसर/कंबाइन से झुकाई करके बीज निकालना(दर प्रति एकड़)	..... प्रति एकड़	

ठेकेदार के हस्ताक्षर-----

ठेकेदार का नाम-----

पता-----

आधार नं०-----

पेन नं०-----



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड  
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरल कम्पनी)  
बीज भवन, पूसा परिसर  
नई दिल्ली -110 012।  
फैक्स- 011- 25846462  
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)  
फैक्स-01509-238027

**NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED**  
(A Government of India Undertaking)  
(CIN : U74899DL1963PLC003913)  
**BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX**  
**NEW DELHI-110 012 (INDIA)**  
Website: www.indiaseeds.com  
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295  
e-mail – [nsc@indiaseeds.com](mailto:nsc@indiaseeds.com)  
**CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH**  
**PHONES:** ( 01509-238027, 238296 (Office)  
Tele – Fax :- 01509-238027  
e-mail – [directorcsfsg@gmail.com](mailto:directorcsfsg@gmail.com), [agricsf@gmail.com](mailto:agricsf@gmail.com)

क्रमांक: – सर./उद्यान/04/2023–24

दिनांक: 25.03.2023

## उद्यान कार्यों के लिए नियम व शर्तें वर्ष 2023–24

1. फार्म द्वारा विभिन्न उद्यानिकी कार्यों के लिए निर्धारित दरों पर कार्य करने के इच्छुक ठेकेदार को उद्यान के अंतर्गत आने सभी कार्यों का ठेका एक वर्ष के लिए लेने हेतु रूपये 10000/–(रूपये दस हजार मात्र ) का बैंक ड्राफ्ट जो कि, “ राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सरदारगढ़” के नाम से सुरतगढ़ में देय हो जो कि फार्म खजांची के पास टेंडर के साथ जमा करवानी होगा अथवा ठेकेदार को स्वयं के खाते से केंद्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ के भारतीय स्टेट बैंक सुरतगढ़ के खाता संख्या 34032829868 में ऑनलाइन जमा करना होगा और सभी कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में समय से श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी जो कि उद्यान प्रभारी से एक दिन पहले मालूम करना होगा।
2. ठेकेदार को निविदा में भाग लेने हेतु पैन कार्ड व आधार कार्ड निविदा के साथ में संलग्न करना होगा।
3. सफल बोलीदाता को ठेके के सम्बन्ध में एक समझौते (एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करने होंगे, इसके लिए पार्टी को रूपये 100/– (रूपये सौ मात्र) नान् ज्यूडिसियल स्टाम्प फार्म को उपलब्ध करवाना होगा।
4. कोई भी ठेकेदार या ठेकेदार का श्रमिक फार्म क्षेत्र में पशु नहीं रखेगा यदि कोई ठेकेदार पशु रखते हुए पाया गया तो ठेकेदार का ठेका रद्द किया जा सकता है।
5. यदि कोई ठेकेदार ठेका लेने/सहमति पत्र पर स्वीकृति के बाद कार्य करने के लिए पर्याप्त श्रमिकों का प्रबन्ध कार्य शुरू होने वाले समय से 10 दिन तक नहीं कर पाता है तो उद्यान प्रभारी/खण्ड प्रभारी अपने स्तर पर प्रबन्ध करेंगे यदि इस कार्य में निर्धारित दर से अधिक देना पड़ता है या निगम को कोई हानि होती है तो वह राशि ठेकेदार के बिलों से काटी जायेगी।

6. उद्यानिकी कार्यों को करने के लिए कस्सी, दंराती तथा कसौला आदि ठेकेदार/ ठेकेदार के मजदूर स्वयं लेकर आयेगें।
7. फसल की रोपाई, गुड़ाई तथा कटाई आदि की जांच का कार्य निदेशक द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। यदि कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो ठेकेदार को उस कार्य को दोबारा निःशुल्क करना होगा। दोबारा कराये गये कार्य का बिल नहीं बनाया जायेगा तथा असंतोषजनक कार्य की वजह से फसल की पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ा तो निदेशक महोदय द्वारा गठित कमेटी के आंकलन के हिसाब से ठेकेदार के अन्य कार्य के बिलों से उस नुकसान की भरपाई कर ली जावेगी।
8. ठेकेदार की लापरवाही अथवा मजदूरों की उचित व्यवस्था न होने के कारण यदि फार्म को किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई ठेकेदार के बिल से की जावेगी।
9. ठेकेदार द्वारा प्रत्येक चक का बिल अलग-अलग देना होगा।
10. ठेकेदार द्वारा प्रत्येक कार्यों का बिल पखवाड़े अथवा महीने के हिसाब से प्रस्तुत करना होगा।
11. ठेकेदार को मजदूरों को लाने ले जाने अथवा रहने आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। यदि किसी परिस्थितिवश मजदूरों को लाने ले जाने की व्यवस्था फार्म को करनी पड़ी तो वह पूरा खर्चा फार्म की निर्धारित दरों पर ठेकेदार द्वारा देय होगा।
12. फसल में पानी लगाते समय खालों की देख रेख एवं पानी लगाने तक का कार्य मन्जूर दरों पर करना होगा। यदि फसल में अधिक पानी लगा दिया गया तो फसल में से अधिक पानी को ठेकेदार द्वारा निःशुल्क निकालना होगा।
13. यदि फार्म सुपरवाइजर/अधिकारी तथा ठेकेदार के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटारा निदेशक महोदय या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
14. यदि ठेकेदार व उसके मजदूरों के बीच किसी तरह का विवाद न्यायालय में जाता है तो ठेकेदार फार्म का बचाव अपने खर्चे पर करेगा। यदि फार्म को न्यायालय में अपना बचाव स्वयं करना पड़ा तो, जो भी खर्चा फार्म को होगा वह ठेकेदार से भरपाई किया जायेगा।
15. फार्म में कार्य के दौरान ठेकेदार या उसके आदमियों के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना या किसी प्रकार की शारीरिक क्षति होने की स्थिति में फार्म किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा।
16. यदि किसी ठेकेदार द्वारा कार्य संतोषजनक पूर्ण नहीं किया जाता है तो उसकी धरोहर राशि को जब्त करते हुए उसका नाम 02 वर्षों के लिये डिबार सूची में डाल दिया जायेगा।

17. सफल निविदादाता को आवंटित चक्र में यदि उसके द्वारा कोई कार्य समय से नहीं किया जाता है या कार्य हेतु मजदूर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में उक्त कार्य किसी अन्य ठेकेदार से सफल निविदादाता की दर से करा लिया जायेगा, जिससे उसे कोई ऐतराज नहीं होगा।
18. यदि किसी भी पद या मामले में एन.एस.सी. और दूसरे पक्ष के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों पक्ष आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से इसे हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान के तहत मुद्दों को हल करने के लिये पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, एन.एस.सी. दोनों पक्षों की सहमति से मुद्दे को हल करने के लिये एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। दोनों पक्ष न्यायालय में जाने से पहले मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को हल करने के लिये बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जायेगी। न्यायालय क्षेत्र दिल्ली होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

कृषि अधिकारी